

अजमेर : सड़क किनारे प्रेस करने वाले को 598 करोड़ का आईटी नोटिस मिला

बताया जा रहा है कि करोड़ों के हीरे-जवाहरात की खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है नोटिस

अजमेर, (निर्स)। अजमेर शहर में धोखाधड़ी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर विभाग और आम जनता दोनों दंग हैं। रामनगर क्षेत्र में सड़क किनारे कपड़ों पर प्रेस करने वाले एक गरीब व्यक्ति को आयकर विभाग ने 598 करोड़ 50 लाख 37 हजार 726 रूपए के लेन-देन का नोटिस धमकाया है।

■ **जांच सामने आया कि कपड़ों की प्रेस करने वाले पीड़ित जितेंद्र कुमार बड़लिया का पैन कार्ड करीब दो साल पहले गुम हो गया था**

■ **पाली मारवाड़ निवासी शत्रुघ्न सिंह ने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर जीएसटी नंबर हासिल किया और सूरत गुजरात में मैसर्स मनन इंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म खड़ी कर दी**

■ **फर्म के माध्यम से करोड़ों रूपए के हीरे-जवाहरात का कारोबार किया जा रहा था, महज 3 महीने में खाते से लगभग 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, जिस पर बैंक की भूमिका पर सवाल उठे हैं**

नोटिस मिला। अपनी आर्थिक स्थिति बीच तालमेल न देख, पीड़ित ने और नोटिस की भारी भरकम राशि के तुरंत अधिवक्ता राकेश ठाडा से

संपर्क किया।

अधिवक्ता राकेश ठाडा द्वारा की गई शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि यह पूरा मामला पैनकार्ड के दुरुपयोग से जुड़ा है। जांच सामने आया कि जितेंद्र का पैन कार्ड करीब दो साल पहले गुम हो गया था। पाली मारवाड़ निवासी शत्रुघ्न सिंह ने जितेंद्र के पैन कार्ड का इस्तेमाल कर जीएसटी नंबर हासिल किया और सूरत गुजरात में मैसर्स मनन इंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म खड़ी कर दी। इस फर्म के माध्यम से करोड़ों रूपए के हीरे-जवाहरात का कारोबार किया जा रहा था। महज 3 महीने के भीतर बैंक खाते से लगभग 600 करोड़ रूपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जिस

पर बैंक की भूमिका पर सवाल उठे हैं। पीड़ित के चकील ने संबंधित बैंक मैनेजर को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एडवोकेट ठाडा ने संदेह जताया है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार इतने बड़े ट्रांजैक्शन होने पर अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया गया? बिना बैंक की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर फर्जीबाड़ी संभव नहीं है। प्रेसकर्मा जितेंद्र कुमार ने गंज थाना पुलिस में आरोपी शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और सूरत स्थित फर्म व बैंक खातों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

जोधपुर में बुजुर्ग को केसर की खेती का प्रलोभन देकर दस लाख की ठगी

जोधपुर, (कास)। शहर के सूरसागर स्थित राजबाग में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को पिता पुत्र और पुत्री ने मिलकर धोखाधड़ी की। पीड़ित को केसर की खेती का प्रलोभन देकर दस लाख तक का इन्वेस्टमेंट करवाने के साथ फ्रांड कर लिया। इसके अलावा कई अन्य पीड़ित भी हैं। हालांकि मामला एक ही दर्ज हुआ है। घटना को लेकर नागौरी गेट पुलिस जांच में जुटी हुई है।

नागौरी गेट पुलिस ने बताया कि राजबाग, सूरसागर निवासी किशनलाल गहलोलत की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उनकी पहचान सेवाराज शर्मा नाम के शख्स से है। उसके बेटे अक्षत और पुत्री मोल्लती ने केसर की खेती के बारे में बताया था। इन लोगों द्वारा केसर खेती को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी प्रचार प्रसार किया गया। चूँकि सेवाराज उनके मिलने वाले थे और बेटा-बेटी से पहचान हो गई। तब उन्होंने केसर खेती के बारे में जानकारी दी और कहा कि केसर कश्मीर से बाहर से मंगवाने के लिए सेफरान एक्ट लागू है, जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उन्होंने केसर खेती के बारे जानकारी दी कि वे इसके लिए सेटअप लगाकर देंगे। साथ ही

■ **पिता, पुत्र और पुत्री ने मिलकर बुजुर्ग से धोखाधड़ी की, मामला दर्ज**

■ **बताया जा रहा है कि अन्य लोगों से भी ठगी हुई है**

उसका अच्छा मार्जिन भी मिलेगा। केसर को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। दस किलो तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे दस लाख तक का मुनाफा मिलेगा। इन लोगों ने उनसे 2.5 हजार रूपए पहले ले लिए फिर सेटअप लगाने के नाम पर लाखों का इन्वेस्टमेंट करवा दिया।

परिवादी किशनलाल ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने समझाया कि एग्रोफोनिक सिस्टम से केसर की खेती आए दिन देहेज के लिए पीटते और ताने देते थे। इसके बीच 14-15 सौ रूपए किलो के भाव से विकते हैं। बाद में खुद का उत्पादन करने से बीजों से फिर बीज तैयार कर सकते हैं। इस पर जीएसटी चार्ज भी शून्य होता है। बाद में परिवादी को पता लगा कि केसर को कश्मीर के बाहर से मंगवाने पर कानूनी

कार्रवाई की भी सामना करना पड़ सकता है।

सेटअप के लिए सारा सामान अभियुक्तों द्वारा ही उनकी वास्तविक कीमतों पर दिलवाने की बात कही गयी एवं बीज बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वास्तविक मूल्य पर उपलब्ध करवाएंगे व केसर के फूल से केसर निकालने तक हर कदम पर गाइड करेंगे। यह भी बताया गया कि बीज आपके यानी परिवादी के पते पर कुरियर से आयेंगे। इसमें जीएसटी शून्य है।

आरोपियों की बातों में आकर परिवादी किशनलाल ने दस लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मगर बाद में वे टालमटोल जवाब देते रहे। उन्हें गुमराह किया गया, जबकि उन लोगों का पता था कि बीज कानूनन नहीं मंगाए जा सकते हैं। उन्होंने हल्के बीज और सस्ती दर वाले उपलब्ध करवाए, साथ ही सेटअप के लिए लगाई टय्यूब लाइट की कीमत 875 रूपए वसूली गई, जोकि बाजार में 500 की है। इस तरह साजो सामान पर भी ज्यादा पैसे वसूल किए। रिपोर्ट में आरोप है कि दस लाख का इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर फ्रांड किया गया, पांच-छह अन्य लोगों को भी इसका शिकार बनाया गया है।

1700 लीटर अवैध डीजल जब्त, एक गिरफ्तार

हुनुमानगढ़, (निर्स)। गोलूवाला थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन से 1700 लीटर अवैध डीजल जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को लंबे समय से इलाके में अवैध डीजल बिक्री की सूचना मिल रही थी। एनएच 62 कैम्पियों पर एक ट्रांसपोर्ट की दुकान के सामने पिकअप से अवैध रूप से डीजल बेचा जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और पिकअप को थाने ले आई। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें विशेष रूप से तैयार एक टैंक और पाइप सिस्टम मिला, जिसका उपयोग अवैध डीजल बिक्री के लिए किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि पिकअप में लगभग 1700 लीटर डीजल भरा हुआ था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीगंगानगर निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर पिकअप में लगे टैंक के जरिए विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करता था। वाहन में मोटर, पाइप और नया-थील वाहन में मोटर, पाइप और नया-थील चौराहा जसरपुर पर नाकाबंदी का रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की फॉन्च्यूर गाड़ी जसरपुर की साईड से आती दिखाई दी, जिसको

उदयपुर की पहाड़ियों पर नया विवाद : हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

उदयपुर, (कास)। शहरी क्षेत्रों में लागू 'पहाड़ संरक्षण मॉडल नियमावली-2024' को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस नियमावली की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यापीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

जस्टिस डॉ. पुष्येंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस मामले

को पूर्व से लंबित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए हैं। याचिका उदयपुर की इश्लील संरक्षण समिति द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 18 अप्रैल 2025 को अधिसूचित यह नियमावली राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के तहत जारी की गई है, जबकि यह धारा पहाड़ संरक्षण के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं देती। ऐसे में यह नियमावली मूल कानून के

दायरे से बाहर है। समिति ने आरोप लगाया कि यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 48 ए का उल्लंघन करती है। साथ ही, उदयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान के विपरीत पहाड़ियों पर हो रहे अवैध निर्माण और भूउपयोग परिवर्तन को रोकने की प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि नई नियमावली हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों अब्दुल रहमान (2004), राजेंद्र

राजदान (2007) और गुलाब कोटारी (2017) सहित 2018 की फुल बेंच के निर्देशों का उल्लंघन करती है। समिति के अनुसार 2018 के निर्णयों को चुनौती देने वाली याचिका 23 मई 2025 को निस्तारित हो गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी 17 नवंबर 2025 को वापस लेते हुए नई याचिका दायर करने की छूट दी गई, जिसके आधार पर वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।

दहेज की मांग से परेशान विवाहिता ने आत्महत्या की

चाचा की रिपोर्ट पर पति, सास और जेट के खिलाफ मामला दर्ज

बीदासर, (निर्स)। कस्बे के वार्ड 24 निवासी एक 20 वर्षीय विवाहिता ने मंगलवार को दहेज की मांग से तंग और परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची बीदासर थाना पुलिस ने शव को बीदासर के राजकीय टॉटिया सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया, जहां मंगलवार को दर शराम पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर मृतका आरती का शव परिजन को सुपुर्द कर दिया। दूसरी ओर पुलिस थाने में मृतका के चाचा की रिपोर्ट पर पति, सास और जेट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार लाडनू निवासी मृतका के चाचा लालाराम कालवा ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि उनकी भतीजी आरती पुत्री ओमप्रकाश मेघवाल का विवाह 23 नवंबर 2023 को बीदासर निवासी भागुराम पुत्र तोलाराम के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही आरती के ससुराल वाले

पति भागुराम, सास संपू और जेट उदाराम उसे दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी उसे आए दिन दहेज के लिए पीटते और ताने देते थे। रिपोर्ट के अनुसार, जेट उदाराम आरती को अक्सर यह कहकर डराता था कि उसने तीन शादियां की हैं और वह अपने छोटे भाई की भी दूसरी शादी करवा देगा। इन तानों और प्रताड़ना के कारण आरती का जीना दूध भर गया था। रिपोर्ट में मृतका के चाचा ने बताया कि 6 अप्रैल को आरती ने अपने भाई मनीष को फोन कर बताया था कि उसके साथ फिर से मारपीट की गई है। इसी प्रताड़ना से तंग आकर आरती ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पुलिस ने मृतका के चाचा कि रिपोर्ट पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच बीदासर पुलिस उपाधीक्षक नेमोचंद चौधरी कर रहे हैं।

युवक का शव झील में मिला

जोधपुर, (कास)। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित रामनगर में घर से निकले युवक का शव कायलाना झील में मिला। युवक का पैर फिसलने से मौत होना बताया गया है।

मृतक के चाचा की तरफ से पुलिस में मर्ग की रिपोर्ट दी गई। हालांकि उसके लापता होने की गुमशुदगी पुलिस ने दर्ज की थी। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बताया कि 4 सेक्टर निवासी रमेश तोलानी ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसका भतीजा रामनगर निवासी गिरीश तोलानी मंगलवार को घर से निकल गया था। बाद में उसका शव दोपहर में कायलाना झील में मिला। झील के किनारे उसका मोबाइल पड़ा होने पर गोताखोरों ने तलाश की, तब वह पानी में मिला। राजीव गांधी नगर पुलिस की कायलाना चौकी स्ट्राफ तहसील। युवक की पहचान बाद में गिरीश तोलानी पुत्र अशोक तोलानी के रूप में की गई। उसके चाचा रमेश तोलानी ने कायलाना में पैर फिसलने से गिरने की मर्ग में रिपोर्ट दी है।

सात करोड़ का सोना हड़पने वालों को नहीं पकड़ पाई पुलिस, परिवादी परेशान

गिरोह का मास्टरमाइंड हेमन्त सहित अनेक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं

बीकानेर, (निर्स)। करीब डेढ़ वर्ष पहले आपभूषण बनाने का कहकर कई स्वर्ण व्यापारियों का सोना हड़प ले जाने के मामले में पुलिस से अभी भी नामजद फर्म आरोपी पकड़ से दूर हैं। जिसके चलते परिवादी मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। इस मामले को लेकर परिवादीगण अनेक बार पुलिस के पास जा चुके हैं, किन्तु उन्हें महज निराशा ही हाथ लगी है। पुलिस शेष आरोपियों को पकड़ने के लिये आश्वासन दे रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक रुपा झुनझुनवाला और विजय झुनझुनवाला को ही पकड़ा है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड हेमन्त सहित अनेक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं।

■ **बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक रुपा झुनझुनवाला और विजय झुनझुनवाला को ही पकड़ा है**

जानकारी मिली है कि आरोपियों ने करीब सात करोड़ का सोना गवन किया है। जानकारी के अनुसार हुकमचंद में सोनी की ओर से अक्टूबर 2024 में नयाशहर थाने में परिवार दर्ज किया गया था। करीब डेढ़ वर्ष बाद भी पुलिस के हाथ महज दो आरोपी लगे हैं। इस बीच परिवादी की ओर से कई बार थाना अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित परिवार देकर शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा माल बरामदगी

की गुहार लगा चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस की शिथिलता के कारण परिवादी को न्याय नहीं मिल रहा है। हालात यह हैं कि 2105 ग्राम सोना न बरामदगी हो रही है और न ही आरोपी पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं। जबकि परिवादी थाने के चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं। मामला शहर के नयाशहर रोड दो दर्ज है। जिसमें परिवादी ने एक महिला सहित पांच जनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार जसूसर गेट के बाहर श्रीनाथ ज्वैलर्स के हुकमचंद सोनी पुत्र मूलचंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपियों ने षडयंत्रपूर्वक मेरा व अन्य व्यापारियों का सोना आपभूषण बनाने का कहकर ले लिया। इसके बाद उन्होंने उक्त सोना अपने निजी कार्य में काम में लेकर हड़प लिया। आरोपियों ने न तो सोना दिया और नहीं आपभूषण बनाकर दिए। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर साल्ट लेक कोलकाला कलकाला निवासी विक्रम झुनझुनवाला एवं विक्को, अश्वत पुत्र विक्रम झुनझुनवाला, रुपा पत्नी विक्रम झुनझुनवाला, श्रीकांत सिकरिया पुत्र सज्जन, हेमन्त सिकरिया पुत्र सज्जन के

कार्यालय नगरपालिका, रतननगर (चूरु)
फोन नं- 01562-281224 ईमेल- mun_magar@yahoo.in
Date: 06-04-2026

Notice Inviting Bid
Bids for of drainage and compouter work invited from interested bidders upto 11:30 AM 09-04-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://sppp.raj.nic.in>) of the state official website.
UBN is: DLB2627WSRC00544, DLB2627WSRC00545, DLB2627WSRC00547, DLB2627WSRC00548, DLB2627SSRC00550
Executive officer
Raj.Samwadi/26/481
Municipal Board, Ratnannagar

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)
E-Mail : nagarpalikaakaran@gmail.com रेशन रोड, बारां Phone : 0453-230106
क्रमांक : नयापु / निर्माण / 2026 / 159-161 दिनांक : 02.04.2026

ई-टेंडर सूचना संख्या : निर्माण 01/2026-27
नगर परिषद बारां द्वारा राजस्थान सरकार के अभियांत्रिकी विभाग में स्वयं श्रेणी में पंजीकृत संवेदको अथवा पीडब्ल्यूएफआर क्लस के अमर्गत पात्र संवेदको से यूरिनल एवं सुपुन कोम्लेस मरम्मत कार्य के लिये निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा प्रपत्र व विवरण पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखें। कार्य की लागत 41.56 लाख रुपये है तथा UBN No. DLB2627WSOB00187 है।
राज.संवाद/सी/26/496 आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल सिंघ रोड, उदयपुर (पुंज) 313001
दुपामा नं.0294-2421255, 2420913, Helpline नं.0294-2426262 वेबसाइट- www.udapurmc.org
क्रमांक : निविदा / 2026-27 / 01-02 दिनांक :- 03.04.2026

(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 02/2026-27
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु कुल राशि रु.70.17 लाख के कुल 03 कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यों की प्रारम्भ तिथि 04.04.2026 एवं अंतिम तिथि 13.04.2026 तथा निविदा खुलने की तिथि 15.04.2026 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य सम्बन्ध विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखें जा सकते हैं।
UBN No. UNP2627WSOB00003
राज.संवाद/सी/26/513 अधीक्षक अभियन्ता नगर निगम, उदयपुर

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
क्रमांक - लेखा/म.रि.प्र./2026-27/3962-94 दिनांक - 02/04/2026

ऑनलाईन निविदा सूचना सं0 01/2026-27
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से एजेंसियों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई. प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से कुल 04 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्त, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट <https://bhd.rajasthan.gov.in/home/dpt/ptHome> एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal पर देखा जा सकता है।
निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन <http://sppp.raj.nic.in> portal का अवलोकन करें।
UBN टिवरण :- WAQ2627SSOB00002, WAQ2627SSOB00003, WAQ2627SSOB00004, WAQ2627SSOB00005
सहायक निदेशक/सी/26/434 भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
1462-258665, 257509 Email Add: npbeawar@gmail.com
क्रमांक / निर्माण / 2026-27 / 103 दिनांक - 02/04/2026

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2026-27
नगर परिषद, ब्यावर द्वारा परिषद क्षेत्र में राज्य सरकार से प्राप्त 15वें विटा आयोग (अनुवार्ड-8), 6th FFYC तथा निजी आय मद से 5 निर्माण कार्य परिषद के सम्पत्तिक श्रेणी को पंजीकृत ठेकेदारों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के समक्ष पंजीकृत ठेकेदारों से E-Procurement प्रक्रिया के तहत केवल www.eproc.rajasthan.gov.in की ऑनलाईन निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 21.04.2026 रात 06:00 बजे तक निविदा नरी जा सकती है एवं ई-निविदा फर्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग का रकम की राशि नगर परिषद के Axis Bank के खाता संख्या 914010005810609 आई.एफ.सी. कोड ULTB0001825 में जमा करवाकर बोली धरोहर का डी.डी. / बैंकर बैंक नगर परिषद, ब्यावर के निर्माण शाखा में दिनांक 22.04.2026 को प्रातः 11 बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य कराना अनिवार्य है। कुल 05 निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 60.11 लाख रुपये है। ई-निविदा सूचना की सम्पन्न शर्तें SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
UBN को DLB2627A0169 है एवं UBN को- निम्नानुसार है-
1. DLBWSOB00515, 2. DLBWSOB00518, 3. DLBWSOB00523, 4. DLBWSOB00525, 5. DLBWSOB00526 आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर